देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/33 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 26 फरवरी 2021

भाग-2

मिशन मास्टर प्लान

पाप का घड़ा कब भरेगा??

भूखंड संख्या 1/1276 एवं 1/1277 मालवीय नगर के इन भूखंडों पर हो रहे अवैध व्यवसायिक निर्माणों को मालवीय नगर के उपायुक्त श्री सुरेश चौधरी बता रहे है पुराना निर्माण!!!

नगर निगम ग्रेटर के मालवीय नगर ज़ोन में भूखंड संख्या 1/1276 एवं 1/1277 मालवीय नगर पर हो रहे अवैध निर्माण को ज़ोन के जिम्मेदार पुराना निर्माण बता कर बचाने की नाकाम कोशिशे कर रहे है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

नगर निगम,ग्रेटर के मालवीय नगर ज़ोन में आवासीय भूखंड संख्या 1/1276 और 1/1277 मालवीय नगर पर बिना अनुमति, सेटबैक नियमों का उल्लंघन कर बनाये जा रहे अवैध व्यवसायिक काम्प्लेक्सों की शिकायत दिनांक 29/10/2020 के समय की तस्वीरे|किस आँख के अंधे को यह निर्माण पुराना नजर आ रहा है?

13	Municipal Corporation Greater Jaipur , Deputy Commissioner , (Admin) , O/o Deputy Commissioner-Malviya Nagar	,,,	Remarks	22-Feb-2021	मौका देखा गया पुराना निर्माण है कोई नव निर्माण नहीं चल रहा है
14	Municipal Corporation Greater Jaipur , Deputy Commissioner , (Admin) , O/o Deputy Commissioner-Malviya Nagar	,,,	Partially Closed :Relief	22-Feb-2021	मौका देखा गया पुराना निर्माण है कोई नव निर्माण नहीं चल रहा है
15	Citizen Contact Center , Data Entry Operator , (Administration) , Citizen Contact Center, Yojana Bhawan	Municipal Corporation Greater Jaipur , Deputy Commissioner , (Admin) , O/o Deputy Commissioner-Malviya Nagar	Marked Not Satisfied	22-Feb-2021	परिवादी विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही से असंतुष्ट है। परिवादी का कहना है की अवैध निर्माण को सील किया जाये ।
16	Municipal Corporation Greater Jaipur , Deputy Commissioner , (Admin) , O/o Deputy Commissioner-Malviya Nagar	,,,	Remarks	23-Feb-2021	मोखा देखा गया है पुराना निर्माण नव निर्माण नहीं चर रहा है शिकायत निरस्त योग्य है
17	Municipal Corporation Greater Jaipur , Deputy Commissioner , (Admin) , O/o Deputy Commissioner-Malviya Nagar	,,,	Partially Closed :Relief	23-Feb-2021	मोखा देखा गया है पुराना निर्माण नव निर्माण नहीं चर रहा है शिकायत निरस्त योग्य है
18	Citizen Contact Center , Data Entry Operator , (Administration) , Citizen Contact Center, Yojana Bhawan	,,,	Marked Not Satisfied	26-Feb-2021	परिवादी विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही से असंतुष्ट है प्रार्थी का कहना है की अवैध निर्माण नया हो या पुराना हो यदि अवैध है तो इसको ध्वस्त किया जाये अतः जल्द से जल्द कार्यवाही की जाये !!

मालवीय नगर ज़ोन द्वारा दिया जा रहा जवाब!!जिसमे वह इसे पुराना बता रहे है|

हमारी शिकायत पर मालवीय नगर ज़ोन के कर्ताधर्ताओं ने महज एक दिन में मौका निरिक्षण भी किया और बताया *"मौका देखा गया,पुराना निर्माण है कोई नया निर्माण नहीं चल रहा है"*

हमारे द्वारा 29/10/20 को मामला नगर निगम के संज्ञान में लाया गया था,जिसपर कार्यवाही करते हुए इस मामले को दिनांक 20/02/21 को मालवीय नगर ज़ोन नगर निगम ग्रेटर को हस्तांतरित किया गया,आपको आश्चर्य होगा मालवीय नगर ज़ोन नगर निगम ग्रेटर के जिम्मेदार अधिकारीयों द्वारा महज एक दिन में ही मौका निरिक्षण कर 22/02/21 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी कि *" मौका देखा गया,पुराना निर्माण है कोई नया निर्माण नहीं चल रहा है"* क्या आप सोच सकते है कि नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी बिना खाए-पीये इतनी त्वरित गति से भी कार्यवाही कर सकते है?

(ख) जहां उप–धारा (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन गैर–आवासिक भवन, बहु–मंजिला भवन, काम्प्लेक्स, या तहखाने के संनिर्माण से संबंधित है, वहां नगरपालिका ईप्सित अनुज्ञा मंजूर करने के पूर्व उस क्षेत्र के नगर नियोजक की सलाह प्राप्त करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित योजना और संनिर्माण नियमों, उप–विधियों और लोक सुविधा से असंगत नहीं है।

(10) (क) यदि उप–धारा (1) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किये बिना, कोई व्यक्ति किसी प्रकार का निर्माण या पुनर्निर्माण प्रारम्भ करता है, जारी रखता है, या पूर्ण करता है, या किसी भवन या उसके भाग में कोई सारवान् परिवर्तन करता है, या भवन के ऐसे किसी बहिर्गत भाग को, निर्मित करता है या पुनः परिनिर्मित करता है, जिसके संबंध में नगरपालिका उस बहिर्गत भाग को हटाया जाना प्रवर्तित करने या सेट बेक की नियमित लाईन को प्रत्यावर्तित करने के लिए धारा 192 के अधीन सशक्त है, या कुएं या बोरिंग के संनिर्माण या विस्तार करने में स्वयं को नियोजित करता है तो सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा;

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 भूले मालवीय नगर ज़ोन के जिम्मेदार अधिकारी

अवैध निर्माणकर्ताओं के दबाव में मालवीय नगर ज़ोन के कर्ता-धर्ता राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 भी भूल गये जिसकी धमकीनुमा नोटिस देकर वह निर्माणाधीन मकान/दुकान/काम्प्लेक्स के मालिकों से मोटी रकम रिश्वत के रूप में वसूलते है|

बिना अनुमति,बिना भू-संपरिवर्तन,बिना नक़्शे पास करवाए किये गए अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग का अधिकार और दोषी व्यक्ति को 1-3 माह का कारावास या 20-50 हजार जुर्माना

चलिए मान लेते है कि अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा करवाया गया निर्माण पुराना है परन्तु क्या मौके पर गए अधिकारी/कर्मचारी

(छ) नगरपालिका का कोई कर्मचारी, जिसे क्षेत्र–विशेष के लिए कर्तव्य समनुदेशित किये गये हैं और इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन के मामले की रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे उल्लंघन की रिपोर्ट अविलम्ब उचित रूप से की गयी है और उसकी प्रविष्टि इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में कर दी गयी है तथा अप्राधिकृत निर्माण रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा और यदि यह साबित हो जाता है कि उसने ऐसे अप्राधिकृत निर्माण को रोकने में और उसकी रिपोर्ट करने में जानबूझकर उपेक्षा की है तो उसे धारा 245 की उप–धारा (18) के उपबन्धों के अनुसार दण्डित किया जायेगा;

(18) अतिक्रमण या बाधा को हटाने या बन्द करने या रोकने के कर्तव्य से विनिर्दिष्ट रूप से न्यस्त जो कोई भी नगरपालिका का कर्मचारी होते हुए या सरकार के किसी विभाग से नगरपालिका में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए स्वयं अतिक्रमण करता है या अतिक्रमण में दूसरों की सहायता करता है, या ऐसे अतिक्रमण या बाधा को हटाने या बन्द करने या रोकने में जानबूझकर या जानते हुए उपेक्षा करता है या जानबूझकर लोप करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो तीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा :

यह प्रमाणपत्र देने में सक्षम है कि यह निर्माण कितना पुराना है?जानकारों के अनुसार निगम के अधिकारी अवैध निर्माणकर्ताओं के रसुखो के चलते झूठी रिपोर्ट दे कर मुख्यमंत्री तक को गुमराह कर रहे है सबसे बड़ी बात यह है कि यह निर्माण बिना सेटबैक छोड़े,बिना अनुमति,बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए,बिना सक्षम स्तर से नक़्शे पास करवाए करवाया गया है,जिसका दोष सिध्द करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि निर्माण चल रहा हो या नहीं|ऐसे मामलों में दोष सिद्धि होने पर अवैध निर्माणकर्ता को 1-3माह की कैद या 20-50 हजार का जुर्माना भी हो सकता है|

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 (10) (छ) में स्पष्ट निर्देश;गलत जांच/रिपोर्ट देने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध भी होगी कार्यवाही

आपको यह जानकारी देना उचित होगा कि नगर पालिका एक्ट में ऐसे अधिकारी जो अपने उत्तरदायित्वों के प्रति लापरवाह और गैर-जिम्मेदार है और जानबूझ कर भ्रष्ट आचरण करते है उनके विरुद्ध भी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 (10) (छ) के तहत दोषी पाए जाने पर एक्ट की धारा 245 की उपधारा 18 के उपबंधो के अनुसार दण्डित करने का प्रावधान है|जिसके तहत दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध तीन माह से तीन साल तक की सजा और 30 हजार तक जुर्माना या दोनों तरह की कार्यवाही की जा सकती है|

जवाब मांगते सवाल?

1. मौके पर जाने वाला मालवीय नगर ज़ोन का अधिकारी/कर्मचारी कौन था?
2. क्या मौके पर जाने वाला अधिकारी/कर्मचारी तकनीकी रूप से यह प्रमाणपत्र देने में सक्षम है कि अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा किया गया निर्माण पुराना है या नया?
3. क्या मौके पर जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी ने यह नहीं देखा कि वर्तमान में इन आवासीय भूखंडो पर भवन विनियमों के विपरीत अवैध व्यवसायिक काम्प्लेक्सों का निर्माण कर लिया गया है|
4. क्या मौके पर जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी यह बताएँगे कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में की कौनसी धारा के तहत यह कहा गया है कि पुराने अवैध निर्माण पर निगम कार्यवाही नहीं करेगी?
5. क्या मालवीय नगर ज़ोन के उपायुक्त श्री सुरेश चौधरी द्वारा मौके पर जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी को केवल मौके पर चल रहे निर्माण के चालु होने या ना होने की स्थिति देखने के लिए ही निर्देशित किया गया था?
6. क्या मौके पर जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी ने यह नहीं देखा कि किया गया निर्माण व्यवसायिक है,जो नया हो या पुराना यदि बिना सक्षम अनुमति,बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए,बिना नक़्शे पास करवाए किया गया है है तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत अवैध की श्रेणी में आता है और उसके विरुद्ध कार्यवाही करना निगम अधिकारीयों का दायित्व है?
7. क्या यह पूरा मामला ज़ोन के उपायुक्त श्री सुरेश चौधरी के संज्ञान में नहीं है,जबकि हमारे द्वारा उनके निजी संज्ञान में यह मामला लाया जा चूका है?
8. क्या गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नगर निगम कार्यवाही करेगा?
9. इस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा क्षेत्र की कितनी शिकायतों को पुराना कह कर बंद कर दिया है?इसकी जांच कौन करेगा?
10. आखिर कौन है इन भूखंडों के मालिक?यह भूमाफिया और कितनी अवैध बिल्डिंगों के निर्माण करवाकर शहर के मास्टर प्लान से खिलवाड़ कर रहे है?

आम जन की आवाज

मिशन मास्टर प्लान

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन 1554/2004 में दिए गए दिशा-निर्देशों की सख्त अनुपालना हेतु

आम जन का मिशन मास्टर प्लान

आज राजस्थान के जयपुर सहित सभी छोटे-बड़े शहर मास्टर-प्लान की अनदेखी के चलते कई समस्याओं से जूझ रहे है जिसके लिए जरुरी है कि आम शहर वासी भी अपने शहर के मूल स्वरुप को बचाने के लिए शासन में भागीदारी करें और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना के लिए अपने नागरिक अधिकारों का अधिकतम उपयोग करें|याद रखे शहर के विकास में आम नागरिक की अहम् भूमिका है|

आम नागरिक क्या करें-

1. अवैध निर्माणों,अतिक्रमणों,भवन विनियम उल्लंघनों की शिकायत स्थानीय नगरीय निकाय की अधिकृत वेबसाईट या संपर्क पोर्टल पर दर्ज करवाएं|शहर में फैले अवैध रूफ-टॉप रेस्टोरेंट्स-बार की शिकायत स्थानीय नगरीय निकाय की अधिकृत वेबसाईट या संपर्क पोर्टल पर दर्ज करवाएं|
2. शहर के मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुसार ही निर्माण कार्य करवा कर शहर के विकास में योगदान देवें|आवासीय भूखंडों पर व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं करें|
3. राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट की निगरानी रखे,सड़क,फुटपाथ,पार्क की जमीन पर अवैध निर्माणों की शिकायत स्थानीय नगरीय निकाय की अधिकृत वेबसाईट या संपर्क पोर्टल पर दर्ज करवाएं|
4. बड़े-बड़े माल में पार्किंग आवश्यक है,पार्किंग स्थल पर हुए अवैध निर्माण की शिकायत स्थानीय नगरीय निकाय की अधिकृत वेबसाईट पर दर्ज करवाएं|
5. यदि आपके शहर के मध्य भी ओद्योगिक क्षेत्र संचालित हो रहा है तो उसकी शिकायत राज्य के मुख्य सचिव से करें|

केन्द्रीय सरकार की मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मिडिया आचार संहिता के तहत जारी :- www.jawabdosarkar.com शासन के विभिन्न अभिकरणों में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित ऑनलाइन मिडिया प्लेटफार्म है| अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु पोर्टल द्वारा समय समय पर अपने अभियानों के माध्यम से विभिन्न विषयों / मुद्दों/ समस्याओं के सम्बन्ध में तथ्यपरक रिपोर्ट्स का प्रकाशन किया जाता है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स को उससे सम्बंधित सभी पक्षों / प्रभावितों और व्यापक जन हित में अधिकतम व्यक्तियों तक पहुचाना पोर्टल की पारदर्शिता निति का हिस्सा मात्र है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स का किसी व्यक्ति/ संस्था/ जाति/धर्म / संप्रदाय विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है| पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स के सम्बन्ध में अपना पक्ष/ सुझाव/ आपत्तिमय सम्बंधित तथ्यों/ दस्तावेजों के पोर्टल के आधिकारिक पते:-S-1, सेकंड फ्लोर,झारखण्ड अपार्टमेंट,जनरल सगत सिंह मोड़ खातीपुरा रोड,जयपुर अथवा ईमेल :-jawabdosarkar01@gmail.com अथवा व्हाट्सअप न. 9828346151 पर प्रेषित कर सकते है| आपके पक्ष/ सुझाव/ आपत्ति को उचित होने पर इस रिपोर्ट के अगले अंक में प्रकाशित कर दिया जायेगा|